<u>अति तत्काल</u> <u>कोर्ट आदेश के अनुपालन में</u>

सं एन-41015/20/2016-बीसी.III भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 8 फरवरी, 2017

सेवा में,

- 1. सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल
- 2. सभी प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल

विषय: भारत के राष्ट्रगान से संबंधित रिट याचिका (सिविल) संख्या 855/2016 श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन।

महोदय /महोदया ,

मुझे भारत के राष्ट्रगान से संबंधित रिट याचिका (सिविल) संख्या 855/2016 श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 30.11.2016 के आदेश की एक प्रति एतद्वारा अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है -

- 2. पक्षों के वकील को सुनने और भारत संघ के उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद, अंतरिम उपाय के रूप में, माननीय न्यायालय ने राष्ट्रगान के उपयोग के संबंध में कुछ निर्देश जैसे कि कोई नो कमर्शियल एक्सप्लॉइटेसन, कोई नाटकीयता नहीं, किसी वस्तु पर राष्ट्रगान या उसके किसी भाग का गैर मुद्रण, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना और संक्षिप्त संस्करण का उपयोग न करना आदि जारी किए हैं।
- 3. माननीय न्यायालय ने आगे कहा है कि संविधान में दिए गए आदर्शों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का पूर्ण दायित्व है और ऐसा ही एक आदर्श राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना है। जैसा कि उक्त आदेश में बताया गया है, भारत के प्रमुख अटॉर्नी जनरल ने उल्लेख किया था कि भारत संघ इस आदेश को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सिचवों को प्रसारित करेगा और आदेश को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाएगा और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। ताकि हर कोई जान सके कि ऐसा आदेश पारित किया गया है और उसका अक्षरश: पालन करें।

4. तदनुसार, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी और एफएम रेडियो चैनलों से अनुरोध है कि वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का व्यापक प्रचार करें और इसका अक्षरशः पालन करें।

(नीति सरकार) दूरभाष 23386536 निदेशक (बीसी)

संलग्नक: माननीय न्यायालय के आदेश की एक प्रति।

प्रतिलिपि:

- 1.श्री आशीष बग्गा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तृतीय तल , सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307।
- 2. श्री पुनीत गोयनका, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, , तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली - 110049।
- 3. श्री राकेश शर्मा, एसोसिएशन ऑफ रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया (एआरटीबीआई), बी-116, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज- I, नई दिल्ली - 110065
- 4. श्री उदय चावला, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया (एआरओआई), 304, कॉम्पीटेंट हाउस, एफ-14, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001